XXXX::आईटी एक्ट 2000 एवम आधार एक्ट 2016 के अनुपालन हेतु पता व मोबाइल नंबर को सेंसर किया गया है | /Address and Mobile Number has been censored for compliance of IT Act 2000 and Aadhaar Act 2016.

समाहरणालय, शेखपुरा
(पंचायत शाखा)
-:आदेश:-

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 4045/पं0रा0, दिनांक 25.07.2018 एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के आदेश ज्ञापांक 466/स्था0 दिनांक 29.08.2018 द्वारा जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रोस्टर बिन्दु अनुसार प्राप्त कार्यपालक सहायकों की सेवा के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 496 दिनांक 11.09.2018 द्वारा ग्राम पंचायत छठियारा में महेश कुमार को कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजित करते हुए पदस्थापित किया गया था। परन्तु प्रखंड विकास पदाधिकारी, चेवाड़ा के पत्रांक 1136 दिनांक 03.12.2018 के आलोक में महेश कुमार का नियोजन रद्द करते हुए रिक्त पद पर नियोजन हेतु जिला पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 652 दिनांक 03.12.2018 द्वारा जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रोस्टर बिन्दु अनुसार प्राप्त कार्यपालक सहायक की सेवा के आलोक में नियोजित करते हुए ग्राम पंचायत छठियारा में पदस्थापित किया जाता है। उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे अपने नियोजित कार्यालय में अपना योगदान अविलम्ब देना सुनिश्चित करेंगे।

क्र0	कार्यपालक सहायक का नाम	पिता/पति का नाम	कोटि	पता एवं मोबाईल नं0	प्रखंड का नाम	पदस्थापित ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	शिरीन तरन्नुम SHK000282	गो0 अशगर	सामान्य वर्ग	मोहल्ला– बीXXXXजxxxxXXोड, शेखपुरा, XXXXX+जिला– शेखपुरा मोबाईल नं0– 95706XXXX, 620054XXXX	चेवाड़ा	छठियारा

नियोजन के लिए शर्तें :–

1. उपरोक्त नियोजित कार्यपालक सहायक को प्रति माह 12,000.00/–(बारह हजार) रूपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा।
2. नियोजित कार्यपालक सहायक को अपने साथ निम्नलिखित कम्प्युटर हार्डवेयर लाना होगा।
   (क) डेस्क टॉप/लैपटॉप **(ख) एक प्रिंटर**
   (ग) एक यू0पी0 एस0 **(घ) इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड**
3. कम्प्युटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
4. यह नियोजन अस्थायी रूप से मानदेय के आधार पर चयन 31.03.2020 तक के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार आगे भी जारी रखा जायेगा। नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा किये गये कार्यों का मोनिटरिंग के पश्चात कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये संविदा रद्द कर दिया जाएगा।
5. नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा नियोजित पद से त्याग करने की स्थिति में उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। पूर्व सूचना दिए बिना त्याग पत्र देने पर उस माह का मानदेय भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. मानदेय के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा

नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमतीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

7. योगदान के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो), दो फोटो तथा नियोजन की शर्त मानने संबंधी एकरारनामा एवं असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पदस्थापित कार्यालय में समर्पित करना होगा।

8. शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पदस्थापित कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थान/कार्यालय से सत्यापन कराने के पश्चात सही पाये जाने पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा समर्पित प्रमाण–पत्र/वांछित कागजात यदि गलत पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

9. नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्ति के साथ अविलम्ब योगदान देना होगा अन्यथा उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी।

10. नियोजन अवधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं कार्य अवधि विस्तार की अनुशंसा भेजना अनिवार्य होगा।

11. ससमय अनुशंसा प्राप्त नहीं होने पर संविदा स्वतः रद्द हो जायेगी। इसके लिए कोई अलग से पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा एवं जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रिक्त स्थान पर नियोजन की प्रक्रिया की जायेगी।

ह0/–
जिला पदाधिकारी
शेखपुरा

ज्ञापांक 1717 **/पं0** — **शेखपुरा, दिनांक** 13 **/12/2018**

प्रतिलिपि :– शिरीन तरन्नुम (SHK000282), पिता/पति– मो0 अशगर, मो0– बी xxxx:x: ज xxxx: xु xxxx:ड, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– मुखिया एवं पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत छठियारा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चेवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि नियोजन पत्र को जिला के साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि :– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भवदीय संकल्प संख्या–4045 दिनांक 25.07.2018 के आलोक में सादर सूचनार्थ समर्पित।

13.12.18
जिला पदाधिकारी
शेखपुरा

XXXX::आईटी एक्ट 2000 एवम आधार एक्ट 2016 के अनुपालन हेतु पता व मोबाइल नंबर को सेंसर किया गया है | Address and Mobile Number has been censored for compliance of IT Act 2000 and Aadhaar Act 2016.